

	राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJBIL/2000/1717 J.P.C./3588/02/2003-05 RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र 15, सोमवार, शाके 1926 - सितम्बर 6, 2004 Bhadra 15, Monday, Saka 1926 - September 6, 2004	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 6, 2004

जी.एस.आर.28:- राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम, 2004 (2004 का अधिनियम सं. 13) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:-** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि नियम, 2004 है।

(2) ये 6 सितम्बर, 2004 से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषा:-** (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम, 2004 अभिप्रेत है;

(ख) "धारा" से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है;

(ग) "राज्य सरकार" से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नहीं किये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में समनुदिष्ट किया गया है।

3. **कर का बिन्दु**— (1) विक्रयों की आवली में प्रथम बिन्दु से राज्य में किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा प्रथम विक्रय या आवलियों में ऐसा बिन्दु अभिप्रेत है जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये।

(2) विक्रयों की आवलियों में अंतिम बिन्दु, राज्य के भीतर पुनः विक्रय से भिन्न प्रयोजनों के लिए, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा किसी उपभोक्ता को या किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यवहारी को या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी को ऐसी आवलियों में किया गया विक्रय होगा।

(3) विक्रयों की आवलियों में गुणक बिन्दु से प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा राज्य में ऐसी आवलियों का विक्रय अभिप्रेत होगा।

(4) जब तक कि राज्य सरकार द्वारा किसी अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्टतः अन्यथा निदिष्ट नहीं किया जाये, अधिनियम की धारा 3 के अधीन संदेय उपकर राज्य में विक्रयों की आवलियों में प्रथम बिन्दु पर होगा।

[संख्या एफ.8(11)पी.डब्ल्यू./94]

राज्यपाल के आदेश से,

एच. एस. मीणा,

उप शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।